न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **28/2018 अपील (राजस्व)**

1. श्रीमती वरदीबाई उर्फ लक्ष्मीबाई पुत्री स्व. श्री नन्दरामजी पत्नि श्री धनराजजी नागदा (ब्राम्हण) निवासी टूस डांगियान हाल टेकरी चौराहा, उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलार्थीयां

बनाम

1 श्री देवीलाल पिता स्व. श्री नन्दराम जी नागदा (ब्राम्हण) निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री श्यामलाल पिता स्व. श्री नन्दराम जी नागदा (ब्राम्हण) निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री रमेशचन्द्र पिता स्व. श्री नन्दराम जी नागदा (ब्राम्हण) निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री प्रकाशचन्द्र पिता स्व. श्री नन्दराम जी नागदा (ब्राम्हण) निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री लक्ष्मीनारायण पिता स्व. श्री नन्दराम जी नागदा (ब्राम्हण) निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 742 दिनांक 28.11.1995

उपस्थित : श्री डालचन्द पोखरना, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री कमलेश चौहान, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व 2
श्री पुष्कर पण्ड्या, अधिवक्ता विपक्षी सं. 3 से 5

निर्णय

दिनांकः—27.11.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है अपीलान्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व.नन्दराम पिता श्री उदेरामजी ब्राम्हण का वर्ष

1994 में निवर्सियती निधन हो गया जिनके अपीलार्थी पुत्री एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से 5 पुत्र व श्रीमती कन्नीबाई बेवा है जिनका भी वर्ष 2001 में निधन हो चुका है। स्व.नन्दराम पिता श्री उदेरामजी ब्राम्हण अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी सं. 1 से 5 वारिसान होकर नंदराम की उत्तराधिकारिणी है, जो स्वर्गीय नन्दराम पिता श्री उदेराम जी ब्राम्हण के निधन के पश्चात् ही उनके समस्त खातेदारी की भूमि की एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर काश्त कर रहे है। नन्दराम जी के निधन के पश्चात रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर गलत तथ्यों के आधार पर सारी भूमि का नामान्तकरण सं. 742 खुलवाकर पारित करवा दिया। जबकि अपीलार्थी नन्दराम जी की पुत्री है जिसे बिना सुने नामान्तकरण पारित कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा नन्दराम जी के वारीसानो के बारे में बिना किसी जांच पडताल के नामान्तकरण निष्पादित कर स्वीकृत करने में भारी भूल की है जो काबिल अपास्त के है। उक्त सारी कार्यवाही मात्र अपीलार्थीया के हिस्से के भूमि से वंचित करने की गरज से सारी भूमि को दुर्व्यपदेशन कर अपने नाम करवा दी। जिसके अपीलार्थी के हितों पर विपरीत असर पडा। अपीलार्थी स्व.नन्दराम जी की जायन्दा पुत्री होने से नन्दराम जी की समस्त जायदाद में रेस्पोडेन्टगण के साथ बराबर हक हिस्से की अधिकारी होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। फिर भी अपीलार्थीया को अपने अधिकारों से वंचित करने की गरज से अपीलार्थीया को स्व.नन्दराम जी की वारिस नहीं बता कर अधीनस्थ तहसीलदार जी ने वारिसान की जांच किये बिना भारी भूल की है। अपीलार्थीया को नामान्तकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 11.07.18 को जब पटवारी हल्का से अपीलार्थीया ने सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि अपीलार्थीया के नाम पर कोई भूमि नहीं है। जिस पर नकले लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 13.07.18 को नामान्तकरण व जमाबन्दी की नकल प्राप्त हुई। जिस पर यह ज्ञान हुआ कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा गलत तरीके से दुर्भावनावश दुर्व्यपदेशन कर अपीलार्थीया के नाम नही करवाकर रेस्पोडेन्टगण ने अपने अकेले

के नाम पर उक्त नामान्तकरण पारित करवा दिया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं. 742 दिनांक 23.11.95 का अपास्त फरमाया जाये।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। जिसमें निवेदन किया कि भूमि पर लोन लेने हेतु दिनांक 11.07.18 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर जानकारी हुई कि अपीलार्थीया के नाम पर कोई भूमि दर्ज नहीं है। रेकार्ड की जांच कर नामान्तकरण की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 13.07.18 को नामान्तकरण व जमाबन्दी की नकल प्राप्त हुई। जिस पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई। अपीलार्थीया अनपढ व ग्रामीण महिला है। जिसे नियमों की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी के समय को कण्डोन करा कर आवेदन अन्दर मियाद होने का आदेश प्रदान कराया जाये।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब भी संलग्न पत्रावली है।

रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व.नन्दराम का निधन 1994 में निर्वसियती हेा गया। जिसमें सभी वारिसानों का नाम नामान्तकरण खोलते समय पटवारी सा. को बताया गया किन्तु सहवन से नामान्तकरण खोलते समय छूट गया होगा। अपीलाथीया नन्दराम जी की जायन्दा पुत्री है जिसके नाम पर भी नामान्तकरण होना चाहिए था। अपीलार्थीया को अपने अधिकारो से वंचित करने का रेस्पोडेन्ट का कोई आशय नहीं रहा है। साथ ही यह निवेदन किया कि अपीलार्थीया का नाम खाते में नही होने की जानकारी नहीं है। यदि अपीलार्थीया का नाम जोडा जाता है तो रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4, 5 को कोई आपत्ति नहीं है।

रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील पूर्णतः मयाद बाहर है। अपीलान्ट अपील में हुई देरी को माफ कराने का अधिकारी नहीं है। नन्दराम जी की सन् 1994 में मृत्यु हुई थी। उन्होने ने अपील मृत्यृ के पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत नामा नही लिखा था। उक्त अनवान अपील से संबंधित विवादित जमीन का वाद बाबत विभाजन न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 3 उदयपुर में जैर पेण्डिंग है। अपीलान्ट द्वारा कोई हिस्सा ही नहीं लेना चाहा। अब अपीलान्ट फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने आप को मालिक घोषित कराने की मंशा रखती है। जब कि वसीयत की सत्यता को साबित नहीं कर दे तब तक भी अपील धारण योग्य नहीं है। वसीयत की सत्यता की जांच करना रेवेन्यू न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है। अपीलान्ट अवश्य ही नन्दराम जी की जाइन्दा पुत्री है। परन्तु मयाद अधिनियम का कोई वाजिब कारण नहीं है। अपीलान्ट को दिन प्रतिदिन की देरी को माफ करने का कारण बताना है। किन्तु ऐसा कोई कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी देरी को माफ कराने की अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट से दो भाई भी मिले हुये है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जाये।

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा एक विभाजन वास्ते निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें उक्त अनवान अपील में विवादित जायदाद का भी विभाजन चाहा गया है। जिसमें अपीलान्ट पक्षकार होकर अपील न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश प्रदान कर रखा है। वाद सं. 45/19 ई.दी. व प्र.सं0 39/19 की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा रही है जिन्हे रेकार्ड पर लिया जाना निहायत आवश्यक है। दस्तावेज प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं हुई है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि माननीय सिविल न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं. 3 उदयपुर के प्र.सं. 45/19 सी.एम. की आदेशिका मय टी.आई. प्रार्थनापत्र एवं प्र.सं. 39/19 की आदेशिका मय वादपत्र की प्रमाणित प्रतियां है। उक्त दस्तावेज सिविल न्यायालय के प्रकरणों की प्रमाणित प्रतियां है। जिन्हे रेकार्ड पर लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योकि हस्तगत प्रकरण से संबंधित ही सिविल न्यायालय में बंटवाडा एवं निषेधाज्ञा के दावे विचाराधीन है। जिन प्रकरणों की प्रमाणित प्रतियां है। जिन्हे रेकार्ड पर लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट श्रीमती वरदीबाई उर्फ लक्ष्मीबाई जो कि नन्दराम जी की जायन्दा पुत्री है। नन्दराम जी के निधन के पश्चात रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 उनके वैध वारिस है। उसी प्रकार अपीलार्थी भी उनकी पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वैध वारिस है। स्वयं रेस्पोडेन्टगण 3 से 5 द्वारा भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलाथीयां स्व. नन्दराम की जायन्दा पुत्री है। किन्तु नामान्तकरण में सहवन से नाम रह गया। जिनके नाम पर भी नन्दराम जी की जायदाद का नामान्तकरण होना चाहिए एवं यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थीयां को अपने अधिकारों से वंचित करने का रेस्पोडेन्टगणो का आशय नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा भी धारा 5785 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के जवाब में निवेदन किया है कि अपीलान्ट अवश्य ही नन्दराम जी की जायन्दा पुत्री है। किन्तु अपील अन्दर अवधि नहीं है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्टगणों स्वयं द्वारा अपीलार्थीयां को स्व. नन्दराम जी की पुत्री होना स्वीकार किया है। यानि कि अपीलार्थीयां नन्दराम जी की जायन्दा पुत्री होने से रेस्पोडेन्टगणेां के साथ साथ बराबर हिस्से की हकदार है। अतः अपीलीय नामान्तकरण 742 दिनांक 28.11.1995 जिसमें अपीलार्थीया का नाम दर्ज नहीं होकर सिर्फ

रेस्पोडेन्टगणों का ही नाम दर्ज है। अतः कृपया उक्त अपीलीय नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाकर स्व. नन्दराम जी के सभी वैध वारिसानो के नाम नया नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को आदेशित करें।

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी लिखित बहस के अनुरूप निवेदन किया कि अपीलार्थीयां द्वारा 23 वर्ष तक अपील प्रस्तुत नहीं कर इसके बाद क्या कारण रहा कि उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। 23 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारीज योग्य है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन बंटवाडा व निषेधाज्ञा के प्रकरणों में दिनांक 15.03.19 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई तथा दिनांक 29.03.19 को माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमि के संबंध में दस्तावेज एवं भौतिक स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के हक, हित व अधिकार माननीय अपर जिला न्यायाधीश, सं. 3 उदयपुर में प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थनापत्र में निर्णित होगें। ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की है वह इसी बिनाय पर खारीज होने योग्य हैं। अतः अपील को इसी स्तर पर खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय अपर जिला न्यायाधीश, सं. 3 उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन मु.नं. 39/19 ई.दी. एवं प्रार्थनापत्र के मु.नं. 45/19 मु.दी. के आदेशिका दिनांक 29. 03.19 को माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का स्थगन प्रदान कर रखा है कि '' प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थनापत्र की चरण सं. 3 में वर्णित सम्पदा, मकान/भूखण्ड एवं चरण सं. 7(अ) से (य) में वर्णित आराजीयात के संबंध में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता ने उक्त संपदाओं के संबधं में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं होना

स्वीकार किया। सुना गया। दोनो पक्षकारान को इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आगामी पेशी तक प्रार्थनापत्र की चरण सं. 3 में वर्णित सम्पदा, मकान/भूखण्ड एवं चरण सं. 7(अ) से (य) में वर्णित आराजीयात की दस्तावेजी एवं भौतिक स्थिति यथावत बनाए रखेगें।''

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त स्थगन के संबंध में चरण सं. 7(अ) से (य) में वर्णित आराजीयात के संबंध में संलग्न पत्रावली जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 तक जो कि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत की गई है जिनके आराजीयातों का मिलान किया गया। जमाबन्दी के अनुरूप प्रार्थनापत्र के चरण सं. 7(अ) से (य) में वर्णित आराजीयातो का मिलान होकर एक ही आराजीयात है। जिस पर वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश दिनांक 29.03.19 प्रभावी है। उक्त स्थगन आदेश के प्रभावी होते हुए न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलीय नामान्तकरण से हस्तान्तरित भूमि के संबधं में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया हुआ है। जो आज दिनांक को प्रभावी है।

अतः प्रकरण की कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द की जाकर फैसल की जाती है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपीलार्थीयां भी पक्षकार होकर वाद बंटवाडे का है जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण के हक, हित व अधिकार तय होगे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दफ्तर दाखिल हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.01.27 15:35:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: